IV 10

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH T 311955

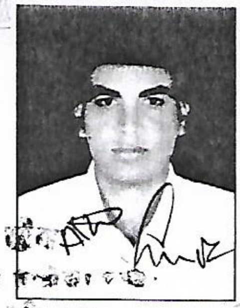

ट्रस्ट–डीड / न्यास पत्र

मैं डा0 प्रमोद कुमार यादव पुत्र श्री पराग राम यादव ग्राम — पनारी तह0 व जिला —ललितपुर (उ0प्र0) का निवासी हूँ। मैं अपने द्वारा व्यक्तिगत रूप से अर्जित धन में से 11000/— देकर निम्न नामधारी ट्रस्ट/न्यास की स्थापना करता हूँ। इस ट्रस्ट/न्यास का प्रबन्धन कार्य प्रणाली उद्देश्य एंव व्यवस्था निम्न नियमों/उपलब्धों के अन्तर्गत की जायेगी।

1. ट्रस्ट का नाम : महाचरण मेमोरियल एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का कार्यालय एवं : ग्राम — पनारी तह0 व जिला —ललितपुर

Pramod Kumar Yadav

71 .... 500/-

16.5.14

क्र॰ 2615

डा॰ प्रमोद कुमार यादव ब॰ पराग राम यादव

पनारी

स्टो॰ 5

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH T 311956

	पता		(उ0प्र0)
			पिन– 234403
3.	ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र	:	सम्पूर्ण विश्व
4.	ट्रस्ट का उद्देश्य	:	ट्रस्ट के निम्न उद्देश्य होगें।

निम्नलिखित उद्देश्योंा के लिए ट्रस्ट गठित किया जाता है–

(1) प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा एवं महिला महाविद्यालयों, महाविद्यालयों, बी0टी0सी0, बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0, एम0पी0एड0, नर्शिग, बी0फार्मा0, एम फार्मा, बी0टेक0, एम0टेक0 बिधिमहाविद्यालयों, बी0सी0ए0, एम0सी0ए0, हिन्दी एवं ईगलिस माध्यम

Pramod Kumar Yadav

क्रमांक 72 [illegible] मूल्य 500/-
स्टाम्प [illegible] 16.5.15
[illegible]
डा० प्रमोद कुमार यादव S/o पराग राम यादव
पनारी
[illegible]
लाईसेन्स की अवधि [illegible] 03-2015
अधिकृत विक्रय का स्थान व पूरा पता
तहसील परिसर, ललितपुर

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

के इन्टर कालेज, पब्लिक स्कूल तथा मेडिकल तथा इन्जीनियरिंग कालेजों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना। आई0टी0आई एवं पालिटेकनिक कालेजो की स्थापना एवं संचालन करना। चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विशेष रूप से पारम्परिक, भारतीय वैदिक विज्ञान तथा वेद, उपनिषद, वैदिक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र आयुवेर्दिक, नैसर्गिक चिकित्सा, रत्न विज्ञान, मेडीटेसन (मनन) मनोविज्ञान आदि पर आधारित शिक्षा, व्यवहार एवं स्वास्थ्य का विकास।

(2) उपरोक्त के आधार पर जीवन के सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं तार्किक जीवनयापन को बढ़ावा देना।

(3) उपरोक्त सभी क्रिया—कलापों हेतु राज्य/केन्द्र सरकार/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्ट तथा जागरूक व्यक्तियों से अनुदान/मदद प्राप्त करना।

(4) अनुदान/दान आदि प्राप्ता करने के लिए न्यास परिषद के प्रबन्धक ही अधिकृत होंगे।

(5) ट्रस्ट की मूल राशि से आय उत्पन्न करना दान एवं अन्य सहयोग से समय—समय पर लेकर ट्रस्ट की सम्पत्ति की वृद्धि करना।

(6) ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में समस्त प्रकार के क्षेत्रों में व्यवसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण देना वं गरीब/कमजोर/अनाथों युवक/युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु अन्य सभी सरकारी योजनाओं में गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0) के रूप में कार्य करना।

Pramod Kumar Yadav

(7) छात्र/छात्राओं, कामकाजी महिलाओं, वृद्धों, विधवाओं तथा अनाथों के लिए छात्रावास/आश्रम की व्यवस्था जिसमें शिक्षा/भोजन की सुविधायें भी हों।

5. न्याय की धन सम्पदा एवं सम्पत्तियांः–

न्यास की उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्रस्ट के संस्थापक डा0 प्रमोद कुमार यादव द्वारा दिये गये 11000/– रूपये की ट्रस्ट की मूल राशि कहा जायेगा। 11000/– रूपया उपरोक्त के अतिरिक्त ट्रस्ट के पास चल व अचल सम्पत्ति नहीं है।

6. ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति (न्यासी परिषद) अपनी सामान्य शक्तियों को अप्रभावित रखते हुए और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में कुछ भी विपरीत लिखे होते हुए भी, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अनुरूप निम्नलिखित शक्तियां धारण करेगी।

(1) ट्रस्ट/न्यास के लिए सहयोग, चन्दा, आम जनता, किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोशिएसन, किसी अन्य न्यास या कारपोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि या अन्य किसी रूप में शर्तो के साथ या बिना शर्तो के स्वीकार करना।

(2) इस न्यास पत्र की शर्तो के अधीन न्यास की सम्पत्तियां तथा आयों या उसके भाग को न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने विवेकानुसार समय–समय पर उपयोग करना।

(3) न्यास राशि को बढ़ाने हेतु न्यास की शर्तो के अधीन न्यास के लिए चल व अचल सम्पत्तियां प्राप्त करना। न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति

Pramod Kumar Yadav

ललितपुर
उत्तर प्रदेश

हेतु समय–समय पर न्यास की सम्पत्तियों का विक्रय करना, बंधक रखना, पट्टे पर देना, लाईसेंस पर देना किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करना।

(4) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) तथा धारा 11(5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।

(5) विभिन्न योजनाओं में लगाये न्यास के धन को वापस लेना, उसमें परिवर्तन करना या निरस्त करना।

(6) न्यास के उद्देश्यों के हित में समझौता करना, अनुबन्ध करना, तथा उन्हें परिवर्तित एवं निरस्त करना।

(7) सरकार के समक्ष तथा न्यायालय, ट्रिव्यूनल, राजस्व, म्युनिस्पल तथा स्थानीय निकाय आदि के सम्मुख न्यास का प्रतिनिधित्व करना तथा सभी प्रकार के मुकदमें वाद, अपील, रिव्यू चाहे वह न्यायालय के समक्ष हो या अन्य अधिकारियों व निकाय व ट्रिव्यूनल आदि के समक्ष वाद को दायर करना, उन्हें चलाना तथा ऐसे वादो में जो न्यास के विरूद्ध दायर किये गये हो न्यास के हित की प्रतिरक्षा करना।

(8) न्यासियों द्वारा निर्धारित शर्तो व वेतन पर किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को न्यास के कार्यो हेतु नियुक्त करना और ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक को किसी भी न्यायालय या ट्रिव्यूनल आदि में विवादित नहीं किया जा सकेगा या चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

(9) न्यास की सम्पत्ति या क्रिया–कलापों के जरूरी प्रबन्धन के लिए न्यास परिषद जो भी व्यय या खर्च आवश्यक समझे उनका वहन करना।

Pramod Kumar Yadav

(10) न्यास या उसके संचालित संस्थाओं आदि के सम्बन्ध में बैंक में खाता खोलना तथा एक या एक से अधिक न्यासी द्वारा उक्त बैंक खाता खोलने तथा चलाने की व्यवस्था करना।

(11) न्यास परिषद की सहमति पर अपनी कुछ शक्तियों किसी न्यासी या अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करना, परन्तु ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के कार्य व्यवहार को न्यासीगण के नियंत्रण एवं निर्देशों के अधीन रखना।

(12) न्यास की चल या अचल सम्पत्ति व फण्ड किसी ऐसे अन्य न्यास को हस्तान्तरित करना, जो इस न्यास के समान हो तथा आयकर अधिनियम 1980 की धारा 80 जी में मान्यता हो।

(13) न्यासियों की सहमति पर लोगों को न्यास की संचालित संस्थाओं का समय–समय पर सदस्य बनाना तथा नियम व परिनियम को बनाना तथा उनमें परिवर्तन करना, परन्तु संस्थाओं के ऐसे सदस्यों को इस न्यास में मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(14) न्यासीगण की सहमति से निर्धारित शर्तो के अनुसार न्यास की अचल सम्पत्ति को किराये पर देना या हस्तान्तरित करना।

(15) न्यास राशि के लिए सभी प्रकार की कार्यवाही शर्तो, दावों, मांग, मुकदमा आदि के सम्बन्ध में समझौता करने, मध्यस्थ को सौपने तथा समीयाचित करना।

(16) समय–समय पर मुख्त्यार–ए–आम या मुख्त्यार–ए–खास या अभिकर्ता नियुक्त करना और मुख्त्यार–ए–आम या मुख्त्यार–ए–खास या अभिकर्ता को अपनी शक्तियों प्रतिनिधानित करना और अधिकृत करना

Prameep Kumar Yadav

[illegible] ललितपुर (जिला ललितपुर) [illegible] उत्तर प्रदेश
सत्यमेव जयते

तथा समय–समय पर ऐसे मुख्त्यार व अभिकर्ता को हटाना व उनके स्थान पर अन्य नियुक्त करना।

(17) न्यास उद्देश्यों की पूर्ति परिनियम तथा योजनाएं बनाना व उनमें परिवर्तन करना और न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास/न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के क्रिया–कलापों के प्रबन्धन आदि हेतु योजनाएं तथा परिनियम बनाना व उनमें परिवर्तन करना।

(18) जनहित में किसी भी पूर्व संस्था को प्रारम्भ करना, समाप्त करना, स्थगित करना या पुनः प्रारम्भ करना या स्थापित करना और उन संस्थाओं को प्राप्त दान व चन्दा के सम्बन्ध में शर्ते लागू करना।

(19) न्यास की आय न्यास के विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार विभाजित करना और न्यास निधि में जमा करना।

(20) देश–विदेश में ऐसे न्यास, न्यास पूर्व संस्थाऐं/सोसाइटी/संगठन आदि की न्यास की आय में से दान आदि देकर सहायता करना, जिनके उद्देश्य इस न्यास के समकक्ष व समान हो तथा और किसी भी प्रकार से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। ऐसे न्यासों, न्यास पूर्व संस्थाओं/समितियों/संगठन इत्यादि को पुनः प्रारम्भ करना, अनुरक्षित करना तथा न्यास के उद्देश्यों हेतु संचालित करना।

(21) संस्था के खातों को व्यवस्थित करना तथा हानि का दायित्व न लेते हुए न्यास के कार्य कलापों, कार्यवाहियों, मांगो, दावों या वाद विवाद में जैसा वे उचित समझें समझौता करना, उसका परित्याग करना या न्यास को फैसला हेतु सौपना।

Pramod Kumar Yadav

(22) न्यास की सम्पत्ति पर या किसी अन्य प्रकार से जमानत पर या जमानत बिना ऋण लेना और न्यासीगण की सहमति पर न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण धनराशि देय ब्याज इत्यादि की शर्तो का निर्धारण न्यासीगण की विवेकानुसार किया जायेगा।

(23) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकार, सहकारी संस्थाएं, कार्पोरेशन व अन्य व्यक्तियों से दान, चन्दा, उपहार, अनुदान, मदद एवं धन लेने के लिए प्रार्थना पत्र देना तथा चन्दा आदि प्राप्त करना। इस सम्बन्ध में सहायता सम्बन्धी शर्तो को निश्चित करना और तथा शासकीय विभागों, सरकारी संस्थाओं, कार्पोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्तियों आदि से न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वार्ता करना, समझौता करना तथा अनुदान प्राप्त ऋण वापसी इत्यादि की शर्ते इत्यादि निर्धारित करना।

(24) न्यासीगण की सहमति पर न्यास को अन्य समान उद्देश्यों वाले न्यास/सोसाइटी/संगठनों व संस्था का सहयोगी बनाना या सम्मेलन करना जो कि आयकर अधिनियम 1861 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो या ऐसी संस्थाओं को अपने अधिकार में लेना।

(25) न्यास की अन्य शाखा अथवा अन्य न्यास या उसकी शाखा (जिनके उद्देश्य समान हो) को स्थापित करना, अनुरक्षित करना, व्यवस्थित करना, सहायता करना, संचालित करना या उन्हें इस न्यास से जोड़ना या इस न्यास में सम्मिलित कर लेना।

(26) ऐसी संस्थाओं को लेना या उन पर नियंत्रण करना या उन्हें प्रतिबंधित करना या उन्हें सहायता देना या अनुरक्षित करना, जिनका उद्देश्य न्यास के समान व समकक्ष हो तथा इस सम्बन्ध में शर्ते लागू करना।

Pramod Kumar Yadav

(27) इस न्यास में जिन अन्य न्यासों, संस्थाओं, संगठनों, समितियों को सम्मिलित किया जा सकता है, को खरीदना व प्राप्त करना।

(28) न्यास की सम्पत्ति, दायित्व आदि किसी अन्य ऐसे न्यास, समिति संस्था या संगठन को हस्तान्तरित करना, जिसमें न्यास का विलय होना अधिकृत किया गया है।

(29) न्यास को उन अन्य समिति, संस्था, न्यास या संगठन को उन शर्तो में सौपना जिन्हें न्यासीगण उचित समझें, परन्तु इस सम्बन्ध में प्रबन्धक की अनुमति आवश्यक होगी एवं ऐसा होने पर न्यासीगण अपने दायित्व से उनमोचित हो जायेंगे और न्यास राशि भी हस्तान्तरित हो जायेगी।

(30) न्यास के आवर्तक व अनावर्तक व होने वाले खर्चो को निश्चित करना और उन्हें अनुमोदित करना व आवंटित करना और इस सम्बन्ध में न्यासीगण कार्यभार के सम्बन्ध में और इससे सम्बन्धित होने वाली बैठकों के सम्बन्ध में नियम बना सकते हैं और उन नियमों को समय–समय पर संशोधित कर सकते है। इस प्रकार बनाये गये सभी नियम प्रबन्धक द्वारा अनुमोदित होने के उपरान्त ही प्रभावी होंगे।

(31) न्यास व इसकी संस्थाओं के संचालन व परिवर्धन हेतु व्यक्ति या व्यक्तियों जिसमें न्यासी/प्रबन्ध–न्यासी व समिति आदि शामिल है, को नियमानुसार नियुक्त करना तथा इस सम्बन्ध में अपने नियम व परिनियम बनाना एवं विभिन्न पूँजी व निवेश के सम्बन्ध में न्यास के प्रावधानों के अनुसार नियम व परिनियम बनाना तथा विभिन्न न्यासी नियुक्त करना।

Pramod Kumar Yadav

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

(32) न्यासीगण आवश्यकतानुसार मानदेय पर कर्मचारी व सहयोगी नियुक्त कर सकते हैं, जिससे न्यास का समुचित प्रावधान किया जा सके।

(33) न्यासीगण को यह अधिकार होगा कि वे आर्थिक, तकनीकी व अन्य प्रकार की सहायता व अन्य व्यक्तियों से अधिकारियों या संस्था से उन शर्तो पर ले सकते है जो उन्हें उचित लगे तथा जो न्यास के उद्देश्यों से सामंजस्य रखती है।

(34) न्यासीगण अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग आपसी बहुमत के निर्णय के आधार पर कर सकेंगे और बहुमत द्वारा लिए गए निर्णय प्रभावी कानूनी व उचित माने जायेंगे।

(35) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रबन्धक के अनुमति से अन्य ट्रस्टों की वित्तीय या अन्य प्रकार का मदद उपलब्ध कराना।

7. ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति का गठन–

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
(1)	डा0 प्रमोद कुमार यादव	श्री पराग राम यादव	ग्राम व पो0 पनारी तह0 ललितपुर जिला ललितपुर	प्रबन्धक
(2)	कमलेश यादव	श्री राम पराग यादव	ग्राम व पो0 बसहिया जिला आजमगढ	अध्यक्ष
(3)	श्री पारस नाथ यादव	श्री राम अवध यादव	ग्राम बाहरपट्टी पो0 सरायहरखू जिला आजमगढ	सदस्य
(4)	श्री सूर्यनाथ यादव	श्री राम अवध यादव	ग्राम पनारी तह0 ललितपुर जिला ललितपुर	सदस्य
(5)	श्री सौरभ यादव	श्री पारस नाथ	ग्राम पनारी जिला	सदस्य

Pramod Kumar Yadav